

सेवा में

जिला शिक्षा निदेशिका अधिकारी
गौतमबुधनगर
प्रबन्धक

डॉलफिन पब्लिक स्कूल

चिपियाना, गौतमबुधनगर

पत्रांक / मान्यता / 1014-1057/1998-99 दिनांक 12/12/99

विषय:- प्राईमरी प्रस्तर की स्टाई / अस्थानई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कत विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक की जांचाया के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 12/12/99 के प्रस्ताव संख्या के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्टाई / अस्थानई प्राईमरी प्रस्तर एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जोटाई 98 से मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध

- 1- प्रबन्धीकरण की विनियम वर्णित स्कूल के अन्तर्गत धन का भुगतान करना होगा।
- 2- प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी।
- 3- विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण की जायेगा।
- 4- छात्रों से निर्धारित तालुका लिया जायेगा।
- 5- विद्यालय की प्रबन्धक समिति का अनुमोदन कराया जायेगा।
- 6- आवश्यकतानुसार विधान / डि.टी. / शिक्षण एवं समाज पयोगी सामाग्री व पुस्तकें की व्यवस्था की जायेगी।
- 7- किना विभाग अनुमोदन के नियुक्त न किया जाये।
- 8- विद्यालय की प्रगति 30 जून 99 तक अवगत करवाये।

मासिक

जिला शिक्षा निदेशिका अधिकारी
गौतमबुधनगर

पत्रांक / मान्यता / 1014-1057/1998-99

दिनांक 12/12/99

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

- 1- समाज कल्याण अधिकारी गौतमबुधनगर
- 2- सहायक शिक्षा निदेशिका अधिकारी गौतमबुधनगर



Principal

Dolphin Public School
Chipyana, G.B. Nagar

Principal

Dolphin Public School
Chipyana, G.B. Nagar



MANAGER
Dolphin Public School
Chipyana G.B. Nagar

जिला शिक्षा निदेशिका अधिकारी
गौतमबुधनगर

12/12/99

प्रेम,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक § क्षेत्रिक §
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

डोलफिन पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, चिपियाना पुर्वा,
विशाल क्षेत्र बितरय, गौतम बुद्ध नगर।

पत्रांक सं. शिक्षा/ 2984-92.

/99-2000 दिनांक 10-11-99.

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थापी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 4-11-99 में लिये गये निर्णयानुसार राजपत्रा संख्या 646/15-6-97-18 स्त 7889 शिक्षा § 6 अनुभाग लघुनर दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल § क्ला 6 से 8 तक § स्तर की नवीन अस्थापी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थापी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की रातो पूर्ण कर अस्थापी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।

2-प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेज एरेन्ज के तहत पैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3-विद्यालय में छात्रों के परित्रनिर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्मति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

4-समिति के पंजीकरण का समयाुक्त नवीनीकरण कराया जाये।

5-शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवनशुल्क/कैपिटेशनफीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिवर्ष के समान आहता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की प्राप्त हो रहे होंगे।

7-जिला क्षेत्रिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा क्ला अथवा कोई सैलान न तो बन्द किया जायेगा और न ही बढ़ाया जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

Dolphin Public School
Chhipiyana G.B. Nagar

Dolphin Public School
Chhipiyana, G.B. Nagar

MANAGER

Dolphin Public School
Chhipiyana G.B. Nagar

8-

§2§

- 8- विद्यालय में शिक्षा का वांछित देनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य शिक्षा के त्व में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में आवश्यक पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- 9-विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों का प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा ।
- 10-विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।
- 11- विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।
- 12-विभागीय आदेशों का पालन किया जाये ।
- 13- विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।
- 14-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सके है विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा ।
- 15-विभागीय आदेशों /नियमों की अपेक्षा करना करने पर वाच्यता समाप्त हो जा सकती है ।
- 16-जिन विद्यालयों के शिक्षण का छोटे हैं वह 10 रुक्माधर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के बच्चों का निर्माण कराये ।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय
प्रथम मण्डल, चिपियाना (बी.बी.)

दिनांक

पृष्ठ सं 0 शिक्षा-सं./

/22x2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनाार्थ एवं आवापक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अवर शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय, 30 प्रो, अनावाडाद ।
- 2- सचिव, क्षेत्रीय शिक्षा परिषद, 30 प्रो, अनावाडाद ।
- 33-जिला क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी गौतमगुप्तनगर -
- 4- उप क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी - - गौतमगुप्तनगर -
- 55- शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र - - - - -
- 6-क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी बिसरख -
- 7-समाज कल्याण अधिकारी - - - - -



Principal
Dolphin Public School
Chipyana, G.B. Nagar

सहायक शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय
प्रथम मण्डल, मरठ ।



MANAGER
Dolphin Public School
Chipyana G.B. Nagar